

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
**Tel.: 011-2695168, 8860748880**  
**Email- mpquota@kvs.gov.in**  
**Website: www.kvsangathan.nic.in**

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 13.08.2020

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**

माननीय सांसद **Shri Ramapati Ram Tripathi** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 488 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	सौरभ मणि त्रिपाठी	श्री सत्येन्द्र मणि त्रिपाठी MOB- 9415200422	5	देवारिया
2	शिवांगी मिश्र	श्री शिवानन्द मिश्र MOB- 9838786689	5	देवारिया
3	अनामिका मिश्र	श्री अतुल कुमार मिश्र MOB- 6386984622	4	देवारिया
4	कामा मिश्र	श्री प्रभात रंजन मिश्र MOB- 9752392009	3	देवारिया
5	प्रद्युमन कुशवाहा	श्री भूपेंद्र कुशवाहा MOB- 7267837017	9	देवारिया
6	प्रियांशु यादव	श्री हरिकेश यादव MOB- 7355378479	5	देवारिया
7	सिद्धि पाण्डेय	श्री आनंद विनय पाण्डेय MOB- 9315135443	1	देवारिया
8	अभय तिवारी	श्री विजय प्रताप तिवारी MOB- 9415734803	6	देवारिया
9	प्रिंस प्रजापति	श्री शत्रुघ्न प्रजापति MOB- 9919520435	6	देवारिया
10	राज प्रजापति	श्री श्यामसुंदर प्रजापति MOB- 9919520435	6	देवारिया

प्रिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Ramapati Ram Tripathi माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, VARANASI संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)